कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 672/ FP/UK/ROAD/23336/2016 देहरादूनः दिनांकः 2 सितम्बर, 2020 सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर—मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:-जनपद-बागेश्वर के कपकोट में पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/23336/2016

सन्दर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 10.07.2018

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 10.07.2018 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर उत्तराखण्ड़ से प्राप्त आख्या प्रेषित की जा रही है।

SR.No	EDS	REPLY			
1	It is seen that 3.255 ha area out of 4.287 ha is reserve forest and few scattered houses are connecting the road. State Govt may submit detailed justification of required of the road and submit the population to be benefitted directly from the road with distance of the vilalge from starting point in a tabular form.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, यह मोटर मार्ग पोथिंग भगवती मन्दिर उछात मोटर मार्ग के किमी० 2 से प्रारम्भ होता है जो उछात चोरखरक एवं सुलमित गांवों को जोडता है जिनकी आबादी 334 है। यह गांव तहसील कपकोट के दूरस्थ क्षेत्र में पडते है। मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से यह गांव जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय से जुड जायेगे तथा गांव में हो रहे पलायन पर रोक लगेगी।			
		क्0सं0 1 1	जुडने वाले गांव का नाम 2 उछात	दूरी 3 1.00	आबादी 4 100
		2	(तोक) चेरखरक (तोक)	3.500	75
		3	सुलमति (तोक)	7.00	159
2	375 numbers of trees are mentioned in tree enumeration list which does not involve trees falling in 0 & 10 and 10 & 20 dia class. State Govt may submit the list of tree including the trees falling in dia class of 0-10 and 10-20	Tree that fall in the 0-10 category are included in the list of tree. The list of trees has also been uploaded online on para- 4, Part II.			

1	upload the same at para-4 of part II online. State Govt may submit the original copy of part III, IV & V muck disposal plan and geologist report of the proposal.	Part III, IV & V has been uploaded online in designated place. Muck disposal plan, Geologist report submitted in additional information detail in Form A, Part I.
4	उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्राम की स्थिति KML file पर अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	Correction has been done in Form A, Part I.

अतः प्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।